

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): STATE VIGILANCE BUREAU P.S. (थाना): SVB HISAR Year (वर्ष): 2022
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0020 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 29/08/2022 16:44 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
1 Day (दिन): Intervening Days Date from (दिनांक से): 30/07/2017 Date To (दिनांक तक): 03/08/2017
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): 09:00 hrs Time To (समय तक): 17:00 hrs
(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 29/08/2022 Time (समय): 16:10 hrs
(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 017 Date and Time (दिनांक और समय): 29/08/2022 16:23 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): SOUTH-EAST, 25 Km(s) Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता): सिवानी,
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):
District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): मुकेश कुमार
(b) Father's Name (पिताका नाम): प्रताप सिंह उर्फ रामप्रताप
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1982 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA
(e) UID No. (यूआईडी सं.):
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
1	Present Address	बडवा, BHIWANI, HARYANA, INDIA

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	बडवा, BHIWANI, HARYANA, INDIA

2	Permanent Address	बडवा, BHIWANI, HARYANA, INDIA
---	-------------------	-------------------------------

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	ASI गौरी शंकर नं. 1040 रोहतक			1. थाना सिवानी, BHIWANI, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
------------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में, श्रीमान जी, प्रबन्धक थाना, राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार मण्डल हिसार। जांच क्रमांक 07 दिनांक 01.10.2018 भिवानी महानिदेशक रा०चौ० ब्यूरो (ह०) पंचकुला के पृष्ठांकन क्रमांक 14095-96 / 1-3 राज्य चौकसी ब्यूरो (ह.) दिनांक 3-10-18 के अनुसार मुकेश कुमार पुत्र श्री प्रताप सिंह उर्फ रामप्रताप निवासी बड़वा, तहसील सिवानी जिला भिवानी की शिकायत के आधार पर विरुद्ध सहायक उप निरीक्षक गोरी शंकर न. 1040 / RTK थाना सिवानी, जिला भिवानी दर्ज रजिस्ट्रर होकर इस मण्डल में पड़ताल हेतु प्राप्त हुई थी। जिसमें आरोप था कि परिवारी मुकेश कुमार के पिता रामप्रताप की ईलाज के दौरान दिनांक 03.08.17 को पी.जी.आई., एम.एस. रोहतक में मृत्यु हो गई थी। इससे पहले जिला हिसार के सुखदा हस्पताल में वह दिनांक 30.07.17 से दाखिल था तथा उसकी सर्जरी की गई थी मगर स्थिति बेकाबु होती देख सुखदा हस्पताल के चिकित्सकों ने रामप्रताप को दिनांक 03.08.2017 को पी.जी.आई.एम.एस. रोहतक रैफर कर दिया था। पी.जी.आई.एम.एस. रोहतक में रामप्रताप की दिनांक 03.08.2017 को मृत्यु होने उपरान्त थाना सिवानी जिला भिवानी पुलिस ने मृतक के सगे भाई महेन्द्र सिंह की शिकायत पर सुखदा हस्पताल के चिकित्सकों पर ईलाज में लापरवाही बरतने की बिनाह पर मु.न. 137 दिनांक 04.08.17 जेर धारा 304 ए भा.द.स. दर्ज रजि किया था। जिसकी तफतीश प्रतिवादी गौरीशंकर स.उ.नि. थाना सिवानी द्वारा की गई। दौरान अनुसंधान स.उ.नि. गौरीशंकर ने मृतक के पुत्र मुकेश कुमार को उसके पिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट व ईलाज से सम्बन्धित अन्य दस्तावेज नहीं दिये तथा उसके चक्कर कटवाता रहा तथा ईशारों ही ईशारों में रिश्वत की मांग करता रहा। इस रिश्वत मांग की परिवारी ने ऑडियो सी.डी. तैयार कर ली। जांच पड़ताल के दौरान पाया गया कि मुकेश पुत्र श्री प्रताप सिंह निवासी गांव बड़वा तहसील सिवानी जिला भिवानी के पिता की आंत फटने के कारण शरीर में जहर फैलने के कारण दिनांक 30.07.2017 को सुखदा हस्पताल हिसार में दाखिल करवाया गया था। प्रताप सिंह के हालात गंभीर होने पर दिनांक 03.08.2017 को पी०जी०आई० रोहतक रैफर किया गया। पी०जी०आई० रोहतक में ईलाज के दौरान प्रताप सिंह का दिनांक 03.08.2017 को देहांत हो गया। प्रताप सिंह की मृत्यु के 5-6 दिन बाद शिकायतकर्ता मुकेश कुमार ने अपने पिता प्रताप सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट व सुखदा हस्पताल हिसार के ईलाज से सम्बन्धित दस्तावेजों की मांग स०उ०नि० गौरीशंकर न० 1040 / रोहतक थाना सिवानी जिला भिवानी से की थी। इस सम्बन्ध में शिकायतकर्ता मुकेश कुमार व मुकेश कुमार के नामालूम व्यक्ति / फुफा ने स०उ०नि० गौरीशंकर से मोबाईल फोन पर बातचीत करके उसकी रिकार्डिंग करके ऑडियो सी०डी० तैयार कर ली थी। पड़ताल के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत के साथ प्रस्तुत की गई सी०डी० में की गई रिकार्डिंग की कन्वरसेशन से स०उ०नि० गौरीशंकर ने शिकायतकर्ता मुकेश कुमार व उसके नामालूम फुफा से प्रताप सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट व सुखदा हस्पताल हिसार के ईलाज से सम्बन्धित दस्तावेज देने की ऐवज में रिश्वत की मांग की जानी पाई गई है। पड़ताल उपरान्त जांच की अन्तिम रिपोर्ट मुख्यालय राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला भिजवाई गई। परीक्षणोपरान्त महानिदेशक रा०चौ०ब्यूरो हरियाणा पंचकुला द्वारा जाँच रिपोर्ट मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग चण्डीगढ़ को भेजी गई थी। अब मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के पृ० क्रमांक 71 / 36 / 2018-5 VI दिनांक 03.08.2022 की अनुपालना में महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा, पंचकुला के पृष्ठांकन क्रमांक 13072 / आई -3 / एस०वी०बी० (एच) दिनांक 12.08.2022 के अनुसार सहायक उप निरीक्षक गोरी शंकर न.1040 / RTK थाना सिवानी, जिला भिवानी के विरुद्ध अभियोग अंकित करने के आदेश प्राप्त हुये। प्राप्त आदेश की अनुपालना में सहायक उप निरीक्षक गौरीशंकर नं. 1040 / रोहतक के विरुद्ध धारा 7 पी०सी० एक्ट के तहत अभियोग अंकित किया जाकर असल तहरीर व जांच क्रमांक 07 दिनांक 01.10. 2018 भिवानी की 4 फाइलें प्राप्त रिकार्ड सहित बराये करने अनुसंधान निजद निरीक्षक कुलवंत, राज्य चौकसी ब्यूरो, उपकेन्द्र भिवानी को भिजवाई जावे तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति बजरिया डाक / ईमेल ईलाका मजिस्ट्रेट साहब व पुलिस अधीक्षक भिवानी तथा अन्य सम्बन्धित उच्च अधिकारियों को भिजवाई जावे। SD ABHAY (निरीक्षक अभय सिंह) राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार। दिनांक 29.08.2022 अज थाना :- लेख हजा पर मुकदमा व जुर्म दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर नकल मिशाल पुलिस मय असल लेख मय आमदा रिकार्ड कुल 04 फाइल बराये तफतीश निजद निरीक्षक कुलवंत नं. 55/SR राज्य चौकसी ब्यूरो, उपकेन्द्र भिवानी के पास भेजी जा रही है। नकुलात प्रथम सूचना रिपोर्ट की स्पैशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब भिवानी व पुलिस अधीक्षक भिवानी को बजरिया ई-मेल/डाक से भेजी जा रही है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Kulwant Singh Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 55SR to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना
प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Dharmvir Singh

Rank (पद): Inspector

No. (सं.): HAP/30

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर
/अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male					
						Is pox pitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)

